HIN3B14b_cours-11-2013-04-16-sociolinguistique-du-Hindi-1

भारतीय संविधान और भारतीय भाषाएँ

► भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। शुरु में इस अनुसूची में 14 भाषाएँ (असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू) थीं। लेकिन बाद में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल किया गया, जिससे इसकी संख्या 18 हो गई। बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को भी शामिल किया गया। इस प्रकार इस अनुसूची में 22 भाषाएँ हो गईं।

► अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख़ (यानी 26 जनवरी, 1950 ई.) से लागू नहीं किया जा सकता था।

► अनुच्छेद 343 (3) में यह घोषणा की गयी कि सरकार 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रख सकती है।

► संविधान के अनुच्छेद 345, 346 से स्पष्ट है कि भाषा के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पूरी छूट दी गई है। संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों के तहत हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी राजभाषा बनी है। हिन्दी इस समय नौ राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश) तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश (दिल्ली) की राजभाषा है। इन प्रदेशों में आपसी पत्र-व्यवहार की भाषा हिन्दी है। इन राज्यों के अलावा कुछ अहिन्दी भाषी राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात व पंजाब की एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ व अंडमान निकोबार) की सरकारों ने भी हिन्दी को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दिया है। इन राज्यों ने हिन्दी भाषी राज्यों से पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दी को स्वीकार कर लिया है।

► संविधान के अनुच्छेद 348, 349 से स्पष्ट हो जाता है कि जिन राज्यों ने हिन्दी को राजभाषा मान लिया गया है उन में भी न्याय व क़ानून की भाषा अंग्रेज़ी ही है। नियम, अधिनियम, विनियम तथा विधि का प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में होने के कारण सारे नियम अंग्रेज़ी में ही बनाए जाते हैं। बाद में उनका अनुवाद हिन्दी में कर दिया जाता है। इस प्रकार, न्याय व क़ानून के क्षेत्र में हिन्दी का समुचित प्रयोग हिन्दी राज्यों में भी अभी तक नहीं हो सका है।

► अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का बहुमत चाहता है तो राष्ट्रपति उनकी भाषा को अनुमति दे सकता है। समय–समय पर राष्ट्रपति ऐसी अनुमति देते रहे हैं, जिसके मुताबिक आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को जगह मिली है। जैसे—1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। यही कारण है कि संविधान लागू होने के समय जहाँ 14 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है।

► अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई भी आदमी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी भाषा में किसी भी दफ़्तर में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन व्यावहारिक स्थिति यह है कि आज भी अंग्रेज़ी में आवेदन करना अच्छा माना जाता है।

► अनुच्छेद 351 में हिन्दी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार के लिए पूरी कोशिश करे ताकि भारत में राजभाषा हिन्दी के ऐसे स्वरूप का विकास हो, जो पूरे देश में काम में आ सके और जिसमें भारत की मिली-जुली संस्कृति हो। इसके लिए संविधान में इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली और शैली को भी अपनाया जाए।

► संविधान बनाने वालों की यह इच्छा थी कि हिन्दी भारत में ऐसी भाषा बने जिसे सभी प्रान्तों के निवासी स्वीकार करें। संविधान बनाने वालों को यह आशा थी कि हिन्दी अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं से दोस्ती करेगी तथा हिन्दी एवं दूसरी भारतीय भाषाओं के बीच में साहित्य का आदान-प्रदान भी होगा।

1950 के बाद हिन्दी की स्थिति

► 1952 में राष्ट्रपति ने एक आदेश निकाला जिसके मुताबिक राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए हिन्दी का प्रयोग स्वीकार किया गया।

► 1955 में राष्ट्रपति ने एक आदेश निकाला जिसके मुताबिक कुछ कामों के लिए अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग हो, जैसे

1. जनता के साथ पत्र-व्यवहार में
2. प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाओं व संसदीय रिपोर्ट में
3. संकल्पों (Resolution) व विधायी नियमों में
4. हिन्दी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में
5. संधिपत्र और क़रार में
6. राजनयिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले पत्रों में।

► बाल गंगाधर खेर आयोग

जून, 1955 (गठन), जुलाई, 1956 (प्रतिवेदन)

1. पूरे देश में माध्यमिक स्तर तक हिन्दी अनिवार्य की जाए।
2. देश में न्याय देश की भाषा में किया जाए।
3. जनतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेज़ी का प्रयोग सम्भव नहीं। अधिक लोगों द्वारा बोली जानेवाली हिन्दी भाषा पूरे भारत के लिए ज़रूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी का प्रयोग ठीक है, किन्तु शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन तथा दैनिक कार्यकलापों में विदेशी भाषा का उपयोग ठीक नहीं।

► इस आयोग के दो सदस्यों (बंगाल के सुनीति कुमार चटर्जी व तमिलनाडु के पी. सुब्बोरोयान) ने आयोग की सिफ़ारिशों से असहमति प्रकट की। और आयोग के सदस्यों पर हिन्दी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। जो भी हो, खेर आयोग ने जो ठोस सुझाव रखे थे उन पर सरकार ने कोई ठोस क़दम नहीं उठाए।

► गोविन्द बल्लभ पंत समिति (नवम्बर, 1957 में गठन; फ़रवरी, 1959 में प्रतिवेदन) की सिफ़ारिशें

1. हिन्दी संघ की राजभाषा का स्थान जल्दी–से–जल्दी ले। लेकिन इस परिवर्तन के लिए कोई निश्चित् तारीख़ (जैसे–26 जनवरी, 1965 ई.) नहीं दी जा सकती, यह परिवर्तन धीरे–धीरे स्वाभाविक रीति से होना चाहिए।
2. 1965 ई. तक अंग्रेज़ी प्रधान राजभाषा और हिन्दी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के बाद जब हिन्दी संघ की प्रधान राजभाषा हो जाए, अंग्रेज़ी संघ की सहायक राजभाषा रहनी चाहिए।

► पंत समिति के सिफ़ारिशों से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविन्द दास असहमत थे और उन्होंने समिति द्वारा अंग्रेज़ी को राजभाषा बनाये रखने का विरोध किया। सरकार ने पंत समिति की सिफ़ारिशों को मान लिया।

► राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित)— संविधान के अनुसार 15 वर्ष के बाद अर्थात 1965 ई. से सारा काम–काज हिन्दी में शुरू होना था, परन्तु सरकार की ढुल–मुल नीति के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। अहिन्दी क्षेत्रों में, खासकर बंगाल और तमिलनाडु में हिन्दी का बहुत विरोध हुआ।

► इसकी प्रतिक्रिया हिन्दी क्षेत्र में हुई। जनसंघ एवं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पी. एस. पी.) द्वारा हिन्दी का बहुत समर्थन किया गया। हिन्दी के घोर कट्टरपंथी समर्थकों ने भाषायी उन्मादों को उभारा, जिसके कारण हिन्दी की प्रगति के बदले हिन्दी को हानि पहुँची।

► इस भाषायी झगड़े को शान्त करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने वायदा किया कि हिन्दी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिन्दी क्षेत्रों की सम्मति प्राप्त की जाएगी और तब तक अंग्रेज़ी को नहीं हटाया जाएगा।

भारत में भिन्न भाषाएँ बोलने वालों की संख्या

स्थान	**भाषा**	१९९१ की भारत की जनगणना (कुल जनसंख्या 838.14 मिलियन)		2001 की जनगणना (कुल जनसंख्या 1,004.59 मिलियन)		एन्कार्टा अनुमानित (2007)
		प्रयोक्ता	प्रतिशत	बोलनेवाले	प्रतिशत	बोलनेवाले
1	हिन्दी	337,272,114	40.0%			337 मि
2	बांग्ला	69,595,738	8.30%			69.9मि
3	तेलुगु	66,017,615	7.87%			69.7 मि
4	मराठी	62,481,681	7.45%			68.0 मि
5	तमिल	53,006,368	7.32%			66.0 मि
6	उर्दू	43,406,932	5.18%			60.3 मि
7	गुजराती	40,673,814	4.85%			46.1 मि
8	कन्नड़	32,753,676	3.91%			35.3 मि
9	मलयालम	30,377,176	3.62%			35.7 मि
10	उड़िया	28,061,313	3.35%			32.3 मि
11	पंजाबी	23,378,744	2.79%			57.1 मि
12	असमिया	13,079,696	1.56%			15.4 मि
13	भीली	5,572,308	0.665%			
14	संथाली	5,216,325	0.622%			
15	गोंड	2,124,852	0.253%			
16	सिंधी	2,122,848	0.253%			
17	नेपाली	2,076,645	0.248%			
18	कोंकणी	1,760,607	0.210%			
19	तुलु	1,552,259	0.185%			
20	कुरुख	1,426,618	0.170%			
21	मेइते (मणिपुरी)	1,270,216	0.151%			
22	बोड़ो	1,221,881	0.146%			

दस लाख से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ

		बोलने वाले	प्रतिशत
23	खानदेशी	973,709	0.116%
24	हो	949,216	0.113%
25	खासी	912,283	0.109%
26	मुंडारी	861,378	0.103%
27	कोकबराक भाषा	694,940	0.083%
28	गारो	675,642	0.081%
29	कुई	641,662	0.077%
30	मीज़ो	538,842	0.064%
31	हलाबी	534,313	0.064%
32	कोरकू	466,073	0.056%
33	मुंडा	413,894	0.049%
34	मिशिंग	390,583	0.047%
35	कार्बी/मिकिर	366,229	0.044%
36	सावरा	273,168	0.033%
37	कोया भाषा	270,994	0.032%
38	खड़िया	225,556	0.027%
39	खोंड	220,783	0.026%
40	अंग्रेजी	178,598	0.021%
41	निशी	173,791	0.021%
42	आओ	172,449	0.021%
43	सेमा	166,157	0.020%
44	किसान	162,088	0.019%
45	आदी	158,409	0.019%
46	रभा	139,365	0.017%
47	कोन्याक	137,722	0.016%
48	माल्तो भाषा	108,148	0.013%
49	थाड़ो	107,992	0.013%
50	तांगखुल	101,841	0.012%